श्री राधेश्याम ...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 04/4/2014
को प्रस्तुत

197/4.4.14

श्री

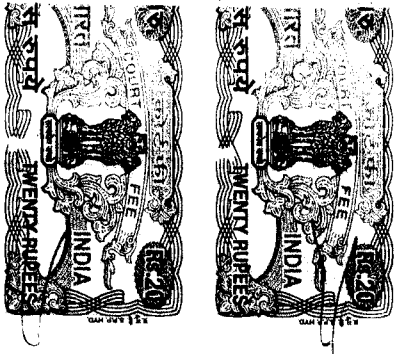

मान्नीय रेवेन्यू बोर्ड, ग्वालियर (म०प्र०)- इन्दौर के समक्ष

निगरानी प्र०क्र०   /२०१४
प्रस्तुति दिनांक ४- ४- २०१४

R-1340-PBR/14

सुशीलकुमार पिता स्वर्गीय विमलचन्दजी अजमेरा,
आयु लगभग ५५ वर्ष, व्यवसाय- व्यापार,
निवासी- ३८, रामबली नगर, इन्दौर(म०प्र०)--- --- अपीलार्थी

विरुद्ध

१- महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि०
४५, खातीपुरा, इन्दौर

२- मेसर्स एस० बी० कोट्स,
पंजीकृत कार्यालय - २५, नारायणबाग, इन्दौर
फैक्टरी- सेक्टर न १, कायनेटिक होंडा के पास,
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के पास, मेकेनिक नगर,
पुलिस चौकी के नजदीक, पीथमपुर,
जिला धार (म०प्र०)

३- विपिन [redacted] पिता बसन्तजी बिडवई
१०२ /२५, नारायणबाग, इन्दौर

४- दिनेशकुमार पिता कन्हैयालालजी शर्मा,
निवासी- १५४६, कायस्थ मोहल्ला,
महू, जिला इन्दौर (म०प्र०) --- ---- प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० (१) भू राजस्व संहिता

प्रकरण का विवरण :

(१) पक्षकारों के नाम -- सुशीलकुमार अजमेरा --प्रार्थी (आपत्तिकर्ता)

विरुद्ध

महाराष्ट्र ब्राह्मण सह०बैंक
एवम् अन्य --- प्रतिप्रार्थीगण

---(२)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवर्ती आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1540—पीबीआर / 2014 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही या आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17—7—2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23—1—2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष वर्ष 2009 से प्रकरण लंबित है और आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी में पक्षकार अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के सही पते एवं भत्ते प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे उन पर सूचना पत्र की तामीली नहीं हो सकी । संहिता की धारा 35 (1) में भत्ते (आदेशिका फीस) का भुगतान नहीं करने के कारण प्रकरण निरस्त किये जाने का प्रावधान है, अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष